फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 62/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/66) **श्री कजोट जाट व अन्य बनाम श्री शंकरलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.01.2025	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील अपीलार्थी 2. श्री जीवनसिंह रावत व अन्य - वकील प्रत्यर्थी-1 से 6 3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-7 **अनवान** 1. **श्री कजोड पिता श्री गोकल जाट,** 2. **श्री मोहनलाल पिता श्री गोकल जाट,** 3. **श्री मांगू पिता श्री गोकल जाट,** 4. **श्रीमती छगनी पुत्री श्री गोकल जाट,** 5. **श्रीमती प्यारी पिता श्री गोकल जाट,** 6. **श्री शिवलाल पिता श्री लच्छीराम जाट,** 7. **श्री भेरूलाल पिता श्री रोशनलाल जाट,** 8. **श्रीमती प्यारी बेवा श्री लच्छीराम जाट** 9. **श्री मांगीलाल पिता श्री प्रताप जाट,** **सभी निवासीयान आकोदिया का खेड़ा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद।** **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. **श्री शंकरलाल पिता श्री नगजीराम जाट,** 2. **श्री भीमराज पिता श्री नगजीराम जाट,** 3. **श्री मुकेश पिता श्री नगजीराम जाट,** 4. **श्रीमती मांगी पुत्री श्री नगजीराम जाट,** 5. **श्रीमती भंवरी पुत्री श्री नगजीराम जाट,** 6. **श्रीमती कवंरी पुत्री श्री नगजीराम जाट,** 7. **श्री रोशनलाल पिता श्री हजारीलाल जाट,** **सभी निवासीयान आकोदिया का खेड़ा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद।** 8. **राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार, कुंवारिया, जिला राजसमंद।** **-प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2019, प्रकरण संख्या-25/2019 बउनवानी श्री शंकरलाल व अन्य बनाम श्री कजोड व अन्य** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 21.01.2025 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2019, प्रकरण संख्या-25/2019 बउनवानी श्री शंकरलाल व अन्य बनाम श्री कजोड व अन्य, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 से 6 द्वारा वर्तमान अपील के अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी-7 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि राजस्व ग्राम आकोदिया का खेड़ा पटवार मण्डल जोधपुरा तहसील व जिला राजसमंद की जमाबंदी नकल संवत 2071-2074 के खाता संख्या 40 नया तथा 42 पुराना में वर्णित आराजी संख्या 450 रकबा 00-13-00 बीड ा उनके नाम पर दर्ज रेकार्ड है। इन आराजी के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 62/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/66) **श्री कजोट जाट व अन्य बनाम श्री शंकरलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

चारो दिशाओं में विपक्षीगण की आराजीयात स्थित है, जिसके सीमाचिन्ह स्थाई रूप से अंकित नहीं होने से दोनों पक्षों में मध्य विवाद की स्थिति रही है, इसलिए वह उक्त वादग्रस्त आराजीयात के चारों दिशाओं की सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

- सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा प्रत्यर्थी-1 से 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 15.07.2019 पारित कर करते हुए वांछित पत्थरगढ़ी का आदेश प्रसारित किया।

अधीनस्थ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2019 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अन्दर मयाद अपील प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात उक्त अपील स्थानानतरित होकर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्राप्त हुई जिस दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 17.01.2025 को वकील अपीलार्थी, प्रत्यर्थी-1 से 6 एवं राजकीय पेरोकार उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अन्य पक्षकारान बावजुद सुचना अनुपस्थित।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थी-1 से 6 द्वारा मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया जबकि उक्त आराजी संख्या 450 अपीलार्थी के पिता श्री गोकल पिता काना के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित थी। राजस्व अधिकारियों की गलती से प्रत्यर्थीगण के पिता के नाम दर्ज हो गई। उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण का ही कब्जा होकर मौके पर अपीलार्थी के बाडे बने हुए है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आवेदन प्रस्तुत होने पर जवाब हेतु अवसर चाहा गया था, जिस पर दिनांक 28.05.2019 को अवसर दिया गया और पेशी दिनांक 14.06.2019 को एवं तत्पश्चात दिनांक 02.08.2019 को नियत की गई। इस दौरान प्रत्यर्थी-1 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2019 को पेश किया, जिसकी दिनांक 15.07.2019 को नियत थी, जिसमें अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश करने का अवसर, मौका कमिश्नर नियुक्त का प्रार्थना एवं विभिन्न दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनको नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.07.2019 को पारित कर दिया। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय समक्ष एक वाद घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें प्रत्यर्थीगण की तामिल होकर वास्ते जवाब दिनांक 13.08.2019 को नियत होने उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया। विवादित आराजी संख्या 450 के संबंध में प्रत्यर्थीगण के पिता नगजीराम द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक आज्ञा का वाद मुकदमा संख्या 155/2007 सहायक कलक्टर, राजसमंद में पेश किया जो दिनांक 11.06.2016 को खारिज हुआ। ऐसे में जब न्यायालय में वाद विचारधीन हो तो प्रावधानोनुसार पत्थरगढ़ी का आदेश पारित किया जाना अनुचित है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाये जाने का अनुरोध किया।

अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 6 द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनों के खण्डन में पेश किया कि प्रत्यर्थी-1 से 6 द्वारा केवल अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने हेतु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 62/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/66) **श्री कजोट जाट व अन्य बनाम श्री शंकरलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आवेदन किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में विधिक विवेचन करते हुए पत्थरगढ़ी के आदेश प्रसारित किये। अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अवसर प्रदान किया गया, उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर गौर किया गया और एक विधिक आदेश पारित किया गया। अंत में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 6 द्वारा अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी-1 से 6 द्वारा विवादित भूमि के संबंध में पड़ोसी खातेदार से सीमा ज्ञान नहीं होने से विवाद की स्थिति के दृष्टिगत पत्थरगढ़ी चाही गई। जिस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 एलआर एक्ट का पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.07.2019 पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया गया है कि ''विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल जाट ने वकालत पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र पेश किया है कि यह भूमि त्रुटि से प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है। इस भूमि पर कजोड व उसके भाईयों के पास ही आधिपत्य होने संबंधित दस्तावेज मय जवाब पेश करने का अवसर दिया जावें।'' अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थीगण द्वारा अवसर चाहे जाने पर भी उसको सुनवाई का अवसर एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया, जो कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-111 के प्रतिकुल होकर पूर्णतया अनुचित है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-111 का यह सार है कि आसामियों के सीमा विवाद के मामले भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रचलित सर्वे मानचित्र के आधार पर निपटाये जावेगें और जहां मानचित्र उपलब्ध न हो, वहां वास्तविक कब्जे के आधार पर ऐसे मामलें निपटाये जावेगें। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो यह प्रकट करते हो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-111 की विहित प्रक्रिया का पालना किया गया हो। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि का पड़ोसी खातेदार है और अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व समूचित अवसर प्रदान नहीं किये गये, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। प्रावधित है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई प्रतिकुल आदेश जारी किये जाने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यह इस प्रकरण में नहीं किया गया जो समर्थन योग्य नहीं है। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व अन्य पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करते हुए प्रार्थना पत्र धारा-128 एलआर एक्ट को स्वीकार करते हुए जो आदेश पारित किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त न्यायालय हाजा समक्ष वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में गलत इन्द्राज होने हेतु संबंधित धाराओं के तहत वाद विचाराधीन होने के कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये है, यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलार्थीगण जो कि उसके समक्ष अप्रार्थी थे, को अवसर प्रदान किया जाता तो उक्त साक्ष्य प्रस्तुत किये जाते जिससे एक विधिक एवं तार्किक निर्णय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 62/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/66) **श्री कजोट जाट व अन्य बनाम श्री शंकरलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पारित होता, परन्तु यह नहीं किया जाकर एक त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-111 की विहित प्रक्रिया की पालना नहीं की, जिससे एक त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन आदेश पारित किया, जिसका यह न्यायालय समर्थन करना उचित नहीं पाता है। यह उचित है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में सभी प्रभावित पक्षकारान को पर्याप्त एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्व नियमावली में अंकित प्रक्रिया का पालन करते हुए विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की स्थिति के मध्यनजर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

परिणामतः **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.07.2019 अपास्त कर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह सभी प्रभावित पक्षकारान को पर्याप्त एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्व नियमावली में अंकित प्रक्रिया का पालन करते हुए विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की स्थिति के मध्यनजर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर